न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/48 दायरा दिनांक : 28.03.2023

उनवान

1– कन्हैयालाल आत्मज हीरालाल, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– जमना बाई पत्नी कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीलाल आत्मज माधोलाल, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– कालू आत्मज मांगीलाल, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– रामस्वरूप आत्मज मदन, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– राकेश आत्मज मदन, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5– ललता बाई पुत्री मदन पत्नी कल्याण, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6– संतोषबाई पुत्री मदन पत्नी रामनाथ, जाति मीना, निवासी गोरियाखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
7– भूरीबाई पुत्र मदन पत्नी देशराज, जाति मीना, निवासी पाटडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
8– सुनीता बाई पुत्री मदन पत्नी पूरीलाल, जाति मीना, निवासी परपती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
9– कमला बाई बेवा मदन, जाति मीना, निवासी मेठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धारा सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्रीमती मंजू जोशी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 30.04.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 26/दावा/2018 निर्णय दिनांक 10.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नं. 1 और 2 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया कि ग्राम मेठून, तहसील अकलेरा में खसरा नं. 120 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है और खसरा नं. 121 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा और खसरा नं. 119 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जो कि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है उसमें से 8 फिट चौडा रास्ता कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और दिनांक 15.07.2016 को निर्णय पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 121 में रास्ता कायम किया गया।

रेस्पोडेंट कम–1 के द्वारा दिनांक 15.07.2016 के निर्णय से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अपील दिनांक 18.11.2016 को पेश की। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 12.01.2018 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 10.01.2023 से वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2023 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. को सरसरी तौर पर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दोनों पक्षों को सुन कर सहमति से ग्राम मेठून, तहसील अकलेरा की खसरा नं. 120 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा आराजी में अपीलांटान को आने जाने हेतु रेस्पोडेंट नं. 1 कालू लाल के खाते की खसरा नं. 121 में से पूर्व दिशा की ओर से पश्चिम की तरफा 37 फीट लम्बाई व 8 फीट चौडाई यानि 370 गुना 8 फीट कुल 2960 वर्गफीट भूमि रास्ते में आती है जिसकी बाजार दर से राशि से दुगनी राशि 2,62,652/– रूपये रेस्पोडेंट नं. 1 श्रीलाल को दिलाया जाकर रसीद प्राप्त कर पेश करने पर अपीलांटान को रास्ता दिया जावेगा। रेस्पोडेंट नं. 1 श्रीलाल द्वारा राशि न लेने पर राजकोष में राशि बतौर अमानत जमा किया जावे। उक्त आदेश दिनांक 15.07.2016 विधि सम्मत पारित किया गया। अपील होने पर उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण दिनांक 12.01.2018 को रिमाण्ड किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के आदेश के अनुसार आदेश पारित न कर प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.एक्ट खारिज करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण अपीलांटान को उनकी भूमि खसरा नं. 120 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 121 व 119 की भूमि की मेड पर होकर रहा है और वे आज भी उसी भूमि पर होकर आ जा रहे हैं व अपने वाहन ट्रेक्टर ट्रोली ला रहे हैं किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के खेत में रास्ता कायम करने का आदेश पारित नहीं कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.04.2016 को जारी नक्शा ट्रेस में जो रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा नं. 121 में दिखा रखा है, कई वर्षों से मौके पर चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। इसके बावजूद भी उक्त रास्ते को मौके पर होना नहीं मानकर प्रार्थीगण अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के इस कथन पर विश्वास करके कि प्रार्थीगण अपीलांटान के खेत खसरा नं. 120 पर आने जाने के लिये खसरा नं. 115 व 118 के मध्य में वर्षों से 10 फीट चौडा रास्ता कायम चला आ रहा है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं. 120 की भूमि पर पहुंचते हैं तथा रास्ते के दोनों तरफ पत्थर का कोट रहा है और अब नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है, मान कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांटान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट नं. 1 कालू लाल के खाते की ग्राम मेठून की खसरा नं. 121 में से पूर्व दिशा की ओर से पश्चिम की तरफा 37 फीट लम्बाई व 8 फीट चौडाई यानि 370 गुना 8 फीट कुल 2960 वर्गफीट भूमि में अपीलांटान के खेत खसरा नं. 120 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम किये जाने व तद्नुसार भूमि की कीमत 2,62,652/– रूपये डी.एल.सी. दर पर जमा करने का व तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2021 पेज 299 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध समस्त तथ्यों तथा दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 15.07.2016 का फैसला बहाल किया जाये। दिनांक 10.01.2023 का फैसला उचित नहीं है क्योंकि कई खातेदारान को रास्ते हेतु भुगतान करना होगा।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हमारे द्वारा पटवारी तथा आई.एल.आर. की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया गया। दिनांक 01.07.2016 की पटवारी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि अपीलांट की जमीन पर जाने हेतु अन्य कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार अकलेरा की रिपोर्ट दिनांक 20–04–2021 के साथ सलंग्न आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 के अनुसार यह प्रकट होता है कि खसरा सं. 120 पर जाने हेतु पूर्व से ही खसरा सं. 112, 115 व 116 की भूमि से होकर रास्ता बना हुआ है। इस मौका रिपोर्ट में बनाए गये नजरी नक्शा से प्रकट होता है कि खसरा सं. 120 के एक तरफ खसरा सं. 112, 115 व 116 है तो दूसरी तरफ खसरा सं. 121 व 119 है। रास्ते का फोटो भी सलंग्न किया गया है जिसका अपीलांट द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा दौराने बहस खसरा सं. 112, 115, व 116 में से रास्ता होने से इंकार नहीं किया गया है। हमारे द्वारा 2021 आर.बी.जे. 299 बोर्ड ऑफ रेवेन्यु का अवलोकन किया तथा इससे यह स्पष्ट है कि धारा 251A के तहत जब पहले से रास्ता मौजूद है तब सुविधा हेतु नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नं. 120 पर जाने हेतु खसरा नं. 112, 115 व 116 में से रास्ता होना प्रकट होता है।

अतः उक्त तथ्यों के विश्लेषण से हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 उचित है। हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/04/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा